(ख) और (ग) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार वन भूमि के वनेतर प्रयोजकों के लिये इस्तेमाल के लिये केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होती है, जिसके लिए राज्य सरकार को निर्धारित प्रोफार्मा में औपचारिक प्रस्ताव भेजने होते हैं। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार से सभी संबंधित अनिवार्य ब्यौरे प्राप्त हो जाने के पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत शीघ्र निर्णय लिया जाता है।

वन्य जीवन और पारिस्थितिकी संवर्द्धन हेतु भारत-अमरीकी सहयोग

2825. **श्री बेकन "उत्साही"** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और अमरीका वन्य जीवन एवं पारिस्थितिकी के संबंध हेतु सहयोग करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ अन्य देशों ने भी इस संबंध में अपना सहयोग देने के लिए सहमति व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हा, तो ऐसे देशों के नाम क्या हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर भारत-अमरीकी उप-आयोग के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर कार्य दल की 22-23 अक्तूबर, 1991 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में दोनों देशों के बीच भावी सहयोग के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्रों में संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा पर्यावरणीय सूचना का आदान-प्रदान, प्रदूषण निवारण और स्वच्छ प्रौद्योगिकियां आते हैं।

(ग) और (घ) हालांकि अनेक देशों के साथ सहयोग कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र में जिन देशों के साथ सहयोगात्मक परियोजनाएं चल रही हैं वे नीदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, डेनमार्क, कनाडा और आस्ट्रेलिया हैं।

वन क्षेत्रों में गांव

2826. **कुमारी आलिया** : क्या **वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वन क्षेत्रों में बसे गांवों की राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या तथा इन गांवों में रह रहे आदिवासी परिवारों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) आदिवासी परिवारों के कब्जे मे जो भूमि है उसका दर्जा क्या है;

(ग) विकास परियोजनाओं/लाभों को इन क्षेत्रों में बसे गांवों में रहने वाले आदिवासि तक पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) कब्जे की भूमि का पट्टा आदिवासियों को देने के विषय में शासन की क्या नीति है और क्या आदिवासियों को भूमि के अन्तरण के लिए इसी मापदण्ड को अपनाया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से वन गांवों की संख्या और उनमें रहने वाले अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

के बारे में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है। आन्ध्र प्रदेश, गोआ, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, अण्डमान व निकोबार द्वीप-समूह' चण्डीगढ़, लक्षद्वीप, पाण्डिचेरी, दादरा व नगर हवेली और दिल्ली की सरकारों ने सूचित किया है कि उनके राज्य/संघशासित क्षेत्र में से कोई वन गांव नहीं है। गुजरात, मेघालय, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल द्वारा भेजी गई सूचना विवरण में दी गई है। (नीचे देखिये) अन्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत सरकार ने ऐसे गांवों में विकास स्कीमों को सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रामवासियों को भूमि पर अहस्तांतरणीय वंशागत किन्तु अधिकार देकर वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के बारे में सभी राज्य सरकारों को दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं ताकि ऐसे गांवों में विकास स्कीमों का कार्यान्वयन सुविधाजनक ढंग से हो सके।

(घ) भारत सरकार ने उस वन भूमि को नियमित करने के बारे में सभी राज्य सरकारों को दिशानिदश जारी कर दिये हैं जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पहले आदिवासियों के कब्जे में थी बशर्ते कि राज्य सरकारों ने क्षतिपूरक वन रोपण अपेक्षाओं के अधीन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के बनने से पूव ऐसा करने का निर्णय ले लिया हो और पात्रता मापदण्ड तयार कर लिए हों।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	वन गांवों की संख्या	इन गांवों में रहने वाले आदिवासी परिवारों की जनसंख्या	आदिवासी परिवारों की कब्ज में भूमि की स्थिति
1.	गुजरात . .	114	4777 आदिवासी परिवार जिनकी जनसंख्या 32,278 है।	वन भूमि
2.	मेघालय . .	27	6732 (जनसंख्या)	आरक्षित वन
3.	उड़ीसा . .	20	2107 (जनसंख्या)	आरक्षित वन
4.	पश्चिम बंगाल .	168	7786 आदिवासी परिवार	आरक्षित वनों के हिस्से